कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

पत्रांक /नजारत, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद दिनांक 28 जून, 2017

निविदा सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में लगी 10 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट का वार्षिक अनुरक्षण किये जाने की बाबत इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो से दिनांक 22, जुलाई 2017 की सायं 04.00 बजे तक सील बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म लिफ्ट का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कर निविदा फार्म, निविदा सम्बन्धी शर्ते जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से निः शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा फार्म एंव निविदा के साथ जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में देय रूपये 2,000/- (दो हजार) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट/चैक दिनांक 22, जुलाई 2017 की सायं 04.00 बजे तक जमा करना होगा।

निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित निविदाएं स्वीकार नही होंगी।

निविदा निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धो के अधीन प्राप्त किये जायेगें :-

1- निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजिकरण होना अनिवार्य है।

2- निविदा में लिफ्ट के अनुरक्षण में किये जाने वाले कार्य का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

3- प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 2,000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट/चैक जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना होगा।

4- भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जा सकेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नही होगा।

5- स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद) को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

6- निविदा देने वाली फर्म की विगत तीन वर्ष की आयकर रिटर्न का विवरण संलग्न करना होगा।

7- निविदा देने वाली फर्म को अन्य संस्थानो में किये गये कार्य का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

8- विगत वर्षो में इस कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टिड की गयी फर्मो की निविदाएं स्वीकार नही की जायेंगी।

अध्यक्ष 28.6.17
इन्फ्रास्ट्रक्चर, उप समिति/
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद
CHAIRMAN
Infrastructure Sub-Committee,
Civil Court Ghaziabad

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु :-

1- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3- नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद।
4- तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद।
5- नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
6- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।